राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
19/23	13.06.23	26.11.24

बउनवान

1. कैलाश सिंह पुत्र गिर्राज सिंह निवासी नौरंगपुरा तहसील मण्डावर दौसा।
2. श्रीमती भूरा देवी पत्नि स्व. गिर्राज सिंह निवासी नौरंगपुरा तहसील मण्डावर दौसा।
3. भीमक सिंह पुत्र गिर्राज सिंह निवासी नौरंगपुरा तहसील मण्डावर दौसा।
4. श्रीमती अंगूरी देवी पत्नि स्व. मुन्शी सिंह निवासी नौरंगपुरा तहसील मण्डावर दौसा
5. भोला सिंह पुत्र मुन्शी सिंह निवासी नौरंगपुरा तहसील मण्डावर दौसा।
6. महेश सिंह पुत्र मुन्शी सिंह निवासी नौरंगपुरा तहसील मण्डावर दौसा।

..प्रार्थीगण

बनाम

1. अन्जू पुत्री लाखन सिंह निवासी नौरंगपुरा तहसील मण्डावर दौसा।
2. ज्ञानी पत्नि लाखन सिंह निवासी नौरंगपुरा तहसील मण्डावर दौसा।
3. बेबी पुत्री लाखनसिंह निवासी नौरंगपुरा तहसील मण्डावर दौसा।
4. अमर सिह पुत्र सुमेर सिंह निवासी नौरंगपुरा तहसील मण्डावर दौसा।
5. गजेन्द्र सिंह पुत्र सुमेर सिंह निवासी नौरंगपुरा तहसील मण्डावर दौसा।
6. बच्चू सिंह पुत्र सुमेर सिह निवासी नौरंगपुरा तहसील मण्डावर दौसा।
7. महाराज सिंह पुत्र सुमेर सिंह निवासी नौरंगपुरा तहसील मण्डावर दौसा।
8. वीरम सिंह पुत्र सुमेर सिंह निवासी नौरंगपुरा तहसील मण्डावर दौसा।
9. श्रीमती गुडडी देवी पत्नि साहब सिंह निवासी नौरंगपुरा तहसील मण्डावर दौसा।
10. श्रीमती गुडडी देवी पत्नि शिम्भू सिह निवासी नौरंगपुरा तहसील मण्डावर दौसा।
11. राजकुमार पुत्र शिम्भू सिह निवासी नौरंगपुरा तहसील मण्डावर दौसा।
12. गोविन्द सहाय पुत्र रघुवीर सिंह निवासी नौरंगपुरा तहसील मण्डावर दौसा।
13. जसवन्त सिंह पुत्र रघुवीर सिंह निवासी नौरंगपुरा तहसील मण्डावर दौसा।
14. साहब सिंह पुत्र रघुवीर सिंह निवासी नौरंगपुरा तहसील मण्डावर दौसा।
15. श्रीमान तहसीलदार साहब मण्डावर तहसील मण्डावर जिला दौसा।

...अप्रार्थीगण

उपस्थित : श्री जितेन्द्र सिंह गुर्जर, अधिवक्ता प्रार्थीगण।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128
राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 बाबत पत्थरगढी इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि आराजीयात वाके ग्राम नौरंगपुरा, तहसील मण्डावर, जिला दौसा (राज.) में स्थित आराजी खसरा नंबर 234 रकबा 0.55 हैक्टे., 245/1 रकबा 0.04 हेक्टे., 246 रकबा 0.11 हैक्टे., 268 रकबा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

0.18 हैक्टे, 229 रकबा 0.30 हैक्टे, 230 रकबा 0.25 हेक्टे, 245/2 रकबा 0.02 हैक्टे, 248 रकबा 0.11 हेक्टे, 266/2 रकबा 0.02 हैक्टे, 267 रकबा 0.19 हैक्टे कुल किता 10 कुल रकबा 1.77 हेक्टे प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी है। प्रार्थीगण उक्त खातेदारी पर अपने बुजुर्गान के समय से ही कब्जा काश्त हैं। उक्त आराजी को अपने उपयोग उपभोग में लेते चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण के अलावा किसी भी अन्य पक्षकार की कोई भी साझेदारी व भागीदारी नहीं है। उक्त राजस्व रिकोर्ड में भी प्रार्थीगण के नाम मौजूदा जमाबन्दी में नाम इन्द्राज है। प्रार्थीगण ने अपनी उक्त आराजी की मौके पर किसी भी प्रकार की कोई पत्थरगढी नहीं कर रखी है। प्रार्थीगणों की खातेदारी भूमि से लगती हुई भूमि अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 14 की है। उक्त आराजी खातेदारी की भूमि के खसरा नंबर 244 रकबा 0.30 हैक्टे., 249 रकबा 0.32 हैक्टे., 250 रकबा 0.17 हैक्टे, 251 रकबा 0.17 हेक्टे, 252 रकबा 0.76 कुल किता 5 कुल रकबा 1.72 हैक्टे. वाके ग्राम नौरंगपुरा तहसील मण्डावर जिला दौसा में है, इसलिये अप्रार्थीगण को पक्षकार बनाया गया है। अप्रार्थीगण ने अपनी आराजी की पैमाइश बाबत तहसीलदार मण्डावर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र पेश किया। तहसीलदार मण्डावर के आदेश क्रमांक/भू.अ./10 दिनांक 27.05.22 की पालना में दिनांक 13.06.22 को पटवारी हल्का धौलखेडा एवं भू. अभि. निरीक्षक ऊकरूंद ग्राम नौरंगपुरा की आराजी खसरा नंबर 245/1, 245/2, 246, 248 के मौके पर पहुंचे व उक्त खसरा नंबर का आराजी खसरा नम्बर 291 किस्म गै. मु. कुआ से जरीब चला कर सीमाज्ञान किया एवं निशानात लगाये। मौके पर पर्चा रिपोर्ट बनाया गया। प्रार्थीगण, तहसीलदार मण्डावर व उनकी टीम पैमाइश व सीमाज्ञान का निशान पर पत्थरगढी करना चाहते थे तो प्रार्थीगण के पडौसी खातेदार संख्या 1 लगायत 14 सभी एकराय होकर प्रार्थीगण के पास आ गये और प्रार्थीगणों को पत्थरगढी नहीं करने दी जबकि प्रार्थीगणों ने हाथ जोडकर कहा कि हम तो हमारी खातेदारी की भूमि पर ही पैमाइश के अनुसार ही पत्थरगढी कर रहे है। अप्रार्थीगण 1 लगायत 14 नाराज हो गये और प्रार्थीगणों को पत्थरगढी नहीं करने दी। इसलिये न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी आया है। उक्त खातेदारी की भूमि व निवास फरीकेन न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है जो न्यायालय श्रीमान को श्रवणाधिकार प्राप्त है। अतः अर्ज है कि प्रार्थीगणों की ओर से प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर तहसीलदार मण्डावर को आदेशित करे कि प्रार्थीगणों की खातेदारी की भूमि की पैमाइश रिपोर्ट के आधार पर पुलिस इमदाद की मदद से पत्थरगढी करें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र, प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी का एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं बहस प्रार्थीगण अभिभाषक पर मनन किया। जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 के अनुसार, ग्राम नौरंगपुरा तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित आराजी खसरा नंबर 234, 245/1, 246, 268, 229, 230, 245/2, 248, 266/2, 267 कुल किता 10 कुल रकबा 1.77 के प्रार्थीगण दर्ज रिकार्ड खातेदार है। प्रार्थीगण की उक्त

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

आराजीयात में से खसरा नम्बर 245/1, 245/2, 246, 248 का दिनांक 13.06.22 को तहसीलदार मण्डावर के द्वारा गठित टीम के द्वारा सीमाज्ञान किया जा चुका है। प्रार्थीगण अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। इससे राजस्व अभिलेख में किसी भी पक्षकार के किसी प्रकार के हक व अधिकार तय नही होते है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाना उचित है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम नौरंगपुरा तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 245/1, 245/2, 246, 248 कुल किता 4 कुल तादादी 0.28 हैक्टे. भूमि के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थीगण के उक्त खसरा नम्बरान की पत्थरगढी किये जाने के लिये भू. अ. निरीक्षक उकरूंद को 1500/- रुपये फीस पर कमिश्नर नियूक्त किया जाता है। लिखित सहमति पश्चात प्रार्थीगण की उपस्थिति में ही पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पन्न की जावें। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थीगण की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रिकार्ड में फेरबदल नही किया जावें। प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयों में कार्यवाही विचाराधीन होने एवं स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नही किया जावें। अतः भू. अ. निरीक्षक उकरूंद मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण एवं पडोसियों की उपस्थिति में पत्थरगढी कर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार मण्डावर को पालनार्थ हेतु लिखा जावे।

निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 26.11.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)